संख्या- 361 / 2025 / 3546 /चार-2025- 1603865

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 18.04.2001 से पूर्व से शासकीय स्वरूप में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/ कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों पेंशन आदि के भुगतान हेतु प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3468/सं0नि0-20(भा0पें0अंश0)/2023-24 दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या -1149/बी0एस0वी0-2(2)/ 2022 दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 287 /2024/2058/चार-2024 दिनांक 05 अगस्त, 2025 द्वारा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 18.04.2001 से पूर्व से शासकीय स्वरूप में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/ कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों पेंशन आदि के भुगतान हेतु रू0 200.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 18.04.2001 से पूर्व से शासकीय स्वरूप में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/ कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों पेंशन आदि के भुगतान हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में **रू0 66.66 लाख (रूपये छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा 01 माह में गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त अनुदान रू0 200.00 लाख के सापेक्ष कर्मचारियों / अधिकारियों को दी गई सेवानैवृत्तिक देयों/ पेंशनरी अंशदान धनराशि का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(9) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 66,66,000/- (रुपये छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 22050080003 भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक 18.04.2001 के पूर्व के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों हेतु पेंशनरी अंशदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 361 /2025/ 3546 (1) /चार-2025- 1657624 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।